न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2020/00012

1. कन्हैयालाल आत्मज गणपतलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1 ओम प्रकाश आत्मज कन्हैयालाल जाति मीना
2. छोटूलाल आत्मज गणपतलाल(मृतक) जर्ये कायम मुकामान–
   2/1 भीमचन्द आत्मज छोटूलाल जाति मीना
3. राधेश्याम आत्मज गणपतलाल जाति मीना, निवासीगण उदयपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

अपीलान्टगण

बनाम

1. गणेशलाल आत्मज कन्हैयालाल(मृतक) जर्ये कायम मुकाम–
   1/1 विष्णु प्रसाद आत्मज गणेशलाल जाति नन्दवाना निवासी निमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
   1/2 विष्णु बाई पुत्री गणेशलाल पत्नी उदयलाल शर्मा निवासी साकेत नगर भोपाल, मध्यप्रदेश
   1/3 कैलाश बाई पुत्री गणेशलाल पत्नी जगदीश नन्दवाना(मृतक) जर्ये कायम मुकाम–
   1/3/1 शैलेन्द्र नन्दवाना आत्मज जगदीश नन्दवाना
   1/3/2 अमित नन्दवाना आत्मज जगदीश नन्दवाना, निवासीगण 163–बी तलवण्डी कोटा जिला कोटा राज0
   1/4 मंजू पुत्री गणेशलाल पत्नी अशोक कुमार बोहरा निवासी दूधू बाग संसारचन्द्र रोड जयपुरा राज0
   1/5 मीना पुत्री गणेशलाल पत्नी अशोक कुमार शर्मा निवासी महावीर नगर द्वितीय कोटा, राज0
   1/6 फूल कंवर पुत्री गणेशलाल पत्नी प्रकाशचन्द बोहरा निवासी बोहरा मोहल्ला झोटवाड़ा जयपुरा राज0
   1/7 बेबी पुत्री गणेशलाल पत्नी प्रकाश बोहरा निवासी बगरू जयपुर राज0
2. कालूलाल आत्मज गणपत लाल जाति मीना निवासी उदयपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

अपील संख्या 2020/00012

कन्हैयालाल(मृतक) जर्ये का0मु0 ओमप्रकाश वगै0 बनाम गणेशलाल

निर्णय **दिनांक: 28.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 41/2005 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–188 आर.टी.एक्ट इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद में सं0 2013 के बन्दोबस्त के पूर्व के ख०न० 30 की 4 बीघा 2 बिस्वा, ख०न० 33 की 4 बीघा 6 बिस्वा, ख०नं० 35 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादीगण के पिता गणपत आत्मज श्रवण की काश्त में बतौर उपकृषक थी। इस आराजी पर गणपत प्रतिवादी नं० 1 उपकृषक स० 2010 से थे, यानि इस आराजी को गणपत ने प्रतिवादी नं० 1 से मुनाफा काश्त पर काश्त करने को लिया था तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आनें के समय दिनांक 15.10.1955 यानि सं० 2012 में भी गणपत इस आराजी पर बतौर उपकृषक काबिज थे। गणपत खसरा गिरदावरी सं० 2012 में बन्दोबस्त रिकॉर्ड में बतौर उपकृषक दर्ज है। सम्वत् 2013 के बन्दोबस्त में गत ख०न० 30 के नये ख0नं0 44 की 4 बीघा 2 बिस्वा, तथा गत ख0नं0 33 व 35 के नये ख0नं0 46 की 6 बीघा 5 बिस्वा कायम किये तथा गणपत को उपकृषक बन्दोबस्त रिकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल में दर्ज किया। वर्तमान बन्दोबस्त सं० 2043 में इस आराजी ख0नं0 44 के नये ख0नं0 171 का 0.67 हे०. गत ख0नं0 46 के नये ख0नं0 52 की 0.09 हे०, नम्बर 53 की 0.46 हे०, नम्बर 54 की 0.67 हे० कायम किये गये तथा यह आराजी वर्तमान रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं० 1 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर गणपत दिनांक 15.10.55 को बतौर उपकृषक काबिज थे तथा सन् 1961 तक भी काबिज थे। इस अवधि में प्रतिवादी नं० 1 द्वारा गणपत के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई तथा लगातर कब्जा बना हुआ है। जिससे गणपत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 19 (1) अ– (केपिटल ए) के अन्तर्गत कानून के प्रभाव से स्वतः ही खातेदार कृषक हो चुके है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभावशील होनें से प्रतिवादी न० 1 का किसी प्रकार का सम्बन्ध इस विवादित आराजी से नहीं रहा है। गणपत का स्वर्गवास हो चुका है यादीगण उनके पुत्र है तथा इस विवादित आराजी पर बतौर खातेदार कृषक काबिज है जिससे गणपत के पश्चात् वादीगण इस आराजी के कानूनन खातेदार कृषक है। विवादित आराजी के गणपत तथा उनके पश्चात् वादीगण खातेदार कृषक है इसके बावजूद भी विवादित आरजी प्रतिवादी नं० 1 की खातेदारी में चली आ रही है तथा आराजी प्रतिवादी नं० 1 की खातेदारी में दर्ज होनें से प्रतिवादी न० 1 की सीलिंग कार्यवाही में जोडे जानें की पूरी संभावना है. इस सम्बन्ध में वादीगण ने प्रतिवादी नं० 1 से निवेदन किया तो प्रतिवादी नं0 1 ने स्पष्ट कहा कि जब खातेदारी में दर्ज रहेगी तो जोडी भी जावेगी तथा सीलिंग कानून में अतिरिक्त होनें से अवाप्त भी की जावेगी। जिससे वादीगण के लिए घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की है तथा प्रतिवादी न० 1 का

सन् 1955 से विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं० 1 का नाम दर्ज होनें मात्र से आराजी प्रतिवादी न० 1 की नहीं मानी जा सकती। यदि वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हो तो जो आराजी वादीगण की खातेदारी की है, तो प्रतिवादी नं० 1 की सीलिंग कार्यवाही में नहीं जोडी जा सकती तथा बिना वादीगण को पक्षकार बनाये, वादीगण की खातेदारी की भूमि को न तो प्रतिवादी नं० 1 की सीलिंग कार्यवाही में जोडी जा सकती है तथा वादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादी न० 1 के विरूद्ध वादीगण की कृषि भूमि को जोडतें हुए सीलिंग कार्यवाही में दिये गये निर्णय भी वादीगण के विरूद्ध प्रभावहीन व शून्य है। वादीगण की आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं० 1 के विरूद्ध चली सीलिंग कार्यवाही में दिये गये निर्णय शून्य है तथा ऐसे निर्णयों से वादीगण की आराजी अवाप्त नहीं की जा सकती है। विवादित आराजी से प्रतिवादी नं० 1 का दिनांक 15.10.55 से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा पूर्व में गणपत उनके पश्चात् वादीगण बतौर खातेदार कृषक आराजी पर काबिज चले आ रहे है तथा प्रतिवादी नं० 1 के समस्त अधिकार दिनांक 15.10.1955 के पश्चात् से धारा 63 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार समाप्त हो चुके है। वाद कारण दिनांक 20.06.1994 को कैचमेंट द्वारा कब्जा लेनें के लिये कहनें पर अन्तिम रूपे स उत्पन्न हुआ। वाद पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद की ख0नं0 171 का 0.67 हे०, ख0नं0 52 की 0.09 हे०, ख०नं० 53 की 0.46 हे०, ख०नं० 54 की 0.67 हे० भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें कि प्रतिवादी नं० 1 के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही के हुए निर्णय वादीगण के प्रति बैअसर है तथा इस आराजी को प्रतिवादी नं० 1 की सीलिंग कार्यवाही में नहीं जोडा जा सकता तथा राजस्व अभिलेखों में वादीगण की खातेदारी दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वादीगण के कब्जें काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा वादीगण को आराजी से बैदखल नहीं करें।

3. उक्त आशय वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.11.2019 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2019 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2019 निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते

बहस अंतिम नियत की गई। दौरोन बहस रेस्पोडेन्ट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित होने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना ही अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टगण ने विवादित भूमि पर वादीगण को धारा 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में खातेदारी अधिकार दस्तावेजी शहादत से प्रमाणित कर दिये थे। जिससे वादीगण दिनांक 15.10.1955 से विवादित भूमि के खातेदार कृषक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव की दिनांक को उप कृषक होना प्रमाणित नही मानने में भारी त्रुटि की है। जबकि अपीलान्टगण जमाबन्दी व गिरदावरी में सब टीनेन्ट दर्ज है जिसे रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ने भी स्वीकार किया था।भूमि सिलिंग से मुक्त नहीं मानने में भारी त्रुटि की है। वैसे भी धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी प्राप्त हो जाने पर तथा सिलिंग कानून बाद मे आने से सिलिंग कानून का कोई प्रभाव नहीं पडता, क्योकि अपीलान्ट दिनांक 15.10.1955 को ही खातेदार हो चुके थे। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश के विपरीत निर्णय दिया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी पर जैली काश्तकार रहा है। वादग्रस्त आराजी को अपीलांट के खाते दर्ज करने में रेस्पोडेन्ट ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। सन् 1955 की खसरा गिरदावरी में अपीलांट कृषक के रूप में अंकित है। कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार बन चुका है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.11.2019 में वादी अपीलांट का वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2003(2) पेज 881 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2019 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 171 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.46 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 54 रकबा 0.67 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलांटगण का पिता गणपत दिनांक 15.10.1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम

के प्रभाव में आने से पूर्व ही बतौर उपकृषक काबिज था तथा धारा 19(1) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर स्वतः ही खातेदार बन चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय सम्वत् 2011 से 2014 में अपीलांटगण का पिता गणपत जैली के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2006 से 2009 में अपीलांटगण का पिता गणपत जैली दर्ज रिकॉर्ड है। अतः अपीलांटगण का पिता गणपत का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के दौरान एवं इससे पूर्व जैली काश्त होना प्रमाणित होता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 17.06.2016 में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त होने का अंकन है। अतः यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण के पिता के जैली काश्त में दर्ज रिकॉर्ड रही है। साथ ही मौका रिपोर्ट दिनांक 17.06.2016 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों को स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर गणपत का जैली काश्त होना प्रमाणित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.11.2019 में वादीगण अपीलांटगण द्वारा जैली के रूप में अंकन होने के समर्थन को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने का अंकन किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2014 एवं मोका रिपोर्ट दिनांक 17.06.2016 में अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रमाणित है तथा अपीलांटगण के कब्जे काश्त होने के सम्बंध में कोई विपरीत साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का निरन्तर कब्जा नहीं होने का अंकन किया गया है। पत्रावली में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटगण के पिता गणपत का नाम जैली काश्त में होना तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा होना प्रमाणित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.11.2019 में वादीगण द्वारा वादपत्र को साबित करने में असफल होना मानकर वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण के हक अधिकारों को लेकर विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्निहित है अतः अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही अपीलांटगण के हक अधिकारों का निर्धारण किया जाना संभव है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 41/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2019 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का विधि के परिप्रेक्ष्य में गहनता से विश्लेषण करते हुए तथा अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नवीन निर्णय पारित करें।

उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.04.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा